प्रार्थना पत्र बाजदायरी नजरसानी रेफरेन्स/एलआर/8312/2024/उदयपुर
चन्द्रसिंह (मृतक) बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ **डा0 महेन्द्र लोढा, सदस्य** **उपस्थितिः–** **(1) कुलदीप लाठी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।** **(2) शान्ति प्रकाश ओझा, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।** **निर्णय** **दिनांकः 02.12.2024** पत्रावली वास्ते आदेश प्राप्त हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस बाजदायरी प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 ए सीपीसी पर सुनी गयी। प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया गया व अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अवलोकन व मनन उपरांत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 ए सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रार्थी चन्द्रसिंह महाजन के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये जाते है व बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 2015/6481 में पारित आदेश दिनांक 18–10–2024 निरस्त किया जाकर नजरसानी रेफरेन्स संख्या 2015/6481 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वे मूल नजरसानी रेफरेन्स में संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। **(डॉ0 महेन्द्र लोढा)** **सदस्य**	